भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–32/2017–18

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
18.03.2019	अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता का विज्ञ अधिवक्ता श्री सुब्रत कुमार प्रधान द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है कि अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा TA Misc Case No.-32/2017-2018 जाँच प्रतिवेदन 90 दिनों के अन्दर नहीं उपलब्ध कराने के कारण न्यायालय द्वारा वाद की कार्रवाई कर दी गई थी। बिक्रेता का विज्ञ अधिवक्ता श्री प्रधान द्वारा दिनांक–18.03.2019 को आवेदन देकर उक्त वाद को पुनर्जीवित करते हुए वाद को निष्पादित करने का अनुरोध किया गया है। उनके अनुरोध पर वाद को पुनर्जीवित किया गया। उभय पक्ष को ऑनलाईन जाति/आवासीय प्रमाण पत्र के साथ दिनांक– 15.04.2019 को उपस्थित होने के लिए नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक– 15.04.2019 को उपस्थापित करें। (हस्ताक्षर) 18.3.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
15.04.2019	अभिलेख उपस्थापित। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा ऑनलाईन जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया। उनके द्वारा मौखिक रूप से क्रेता एवं विक्रेता का ऑनलाईन जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र हेतु समय की मांग की गई है। उनके द्वारा बताया गया कि ऑनलाईन जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत होते ही वे न्यायालय में जमा कर देंगे। क्रेता एवं विक्रेता अथवा विज्ञ अधिवक्ता द्वारा ऑनलाईन जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र न्यायालय में समर्पित करने के पश्चात् अभिलेख उपस्थापित करें। (हस्ताक्षर) 15-4-19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
25.01.2020	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उभय पक्ष का जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र 25.01.2020 को समर्पित किया गया। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** के पत्रांक–781, दिनांक–19.09.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक–19.09.2017 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **प्रधान हेम्ब्रम**, पिता–**स्व0 सिदिउ हेम्ब्रम**, जाति–हो **(अ.ज.जा.)**, ग्राम–**भुजूसाई**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। मौजा–**भुजंसाई**, थाना नं0–445, थाना–चक्रधरपुर, खाता नं०–189, खेसरा नं०–386, रकवा–**25 डि0 500 वर्गकड़ी** भूमि क्रेता **शिवशंकर हेम्ब्रम**, पिता–**स्व0 गारदी हेम्ब्रम**, जाति–**हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम–**भुजूसाई**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक **प्रधान हेम्ब्रम**, पिता–**स्व0 सिदिउ हेम्ब्रम**, जाति–**हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम–**भुजूसाई**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता का थाना–**चक्रधरपुर**, जिला– **प0 सिंहभूम** के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति हो **(अ.ज.जा.)** समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि **पैसे की अति आवश्यकता हेतु** बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को **चक्रधरपुर** अंचल अंतर्गत **रकवा 9.57.500 ए0** अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता **प्रधान हेम्ब्रम**, पिता–**स्व0 सिदिउ हेम्ब्रम**, जाति–**हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम–**भुजूसाई**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** उक्त भूमि क्रेता को **1,30,000/– (एक लाख तीस हजार)** रूपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। ~~चक्रधरपुर नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत आवासीय भूमि है~~। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शुल्क अदा कर बेचने की **स्वीकृति** दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। (हस्ताक्षर) 25.1.20 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	

Digitally signed by KUSHALMY KINETH MUNDU
Date: 2025.03.05 14:02:54 +05:30
Location: 10.93.69.133